

“आज के मुख्य समाचार”

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के आधिकारिक दौरे पर। राजधानी शिमला में सुरक्षा के दृष्टिगत एक हजार से अधिक पुलिस जवान रहेंगे तैनात।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक करार दिया।
- जनजातीय जिला किन्नौर में सेब की फसल के रखरखाव व रोगों से बचाने के लिए बागवानी विभाग ने दी विशेष सलाह।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 133वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 27 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश के आधिकारिक दौरे पर शिमला पहुंचेंगी। 6 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति शिमला के निकट छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में ठहरेंगी। राष्ट्रपति का 29 अप्रैल को अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 30 अप्रैल को राष्ट्रपति चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इसी दिन राष्ट्रपति आरट्रैक शिमला में भी एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति का 2 मई को शिमला से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी शिमला में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। डीआईजी साउथ रेंज अंजुम आरा ने बताया कि शिमला शहर को तीन सेक्टरों में बांटा गया है और जहां भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम निर्धारित है, वहां वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रपति शिमला का दौरा करें उनके अलग-अलग स्थान पर दौरे हैं तो वहां पर उनकी सिक्योरिटी और सेप्टी के लिए जो भी इंतजाम करने थे वह प्रॉपर हम कर चुके हैं इसके अलावा ट्रैफिक पार्टिकुलर जब वी.आई.पी की मूवमेंट होगी उस समय का प्रॉपर प्लान किया हुआ है एक तो मोमेंट के दौरान किसी तरह का कोई कोताही ना हो और दूसरा जो है आम लोगों को भी किसी तरह की कोई और असुविधा न हो इसके लिए भी इंतजाम किए गए

हैं हमने लगभग 1000 के आसपास लोगों को डेप्लॉय किया है हमने जो है इस समय जहां प्रोग्राम है उसके अलावा रूट को हमने अलग से जो है 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है
राष्ट्रपति—2

इस बीच, राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत 28 व 29 अप्रैल को कुल्लू ज़िला में साहसिक खेल व हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। ज़िला उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति के संभावित भ्रमण मार्ग व आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की खुदाई, उत्खनन या ट्रैचिंग कार्य पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है।

प्रदेश उच्च न्यायालय

प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने 450 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अधिनियम संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य विधानमंडल को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो न्यायपालिका के आदेशों को पूरी तरह समाप्त कर दें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित कर्मचारियों को तीन माह के भीतर देय वित्तीय लाभ और वरिष्ठता प्रदान की जाए। यह मामला उन हजारों कर्मचारियों से जुड़ा था जिन्हें वर्ष 2003 के बाद अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित किया गया। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

बागवानी—सलाह

जनजातीय जिला किन्नौर में बागवानी विभाग ने नकदी फसल सेब के रखरखाव को लेकर बागवानों को विशेष सलाह दी है। हाल ही में मौसम खराब रहने के कारण कई क्षेत्रों में फ्रूट सेटिंग पर असर पड़ा था, लेकिन अब मौसम साफ होने के बाद बगीचों में फल सेट होना शुरू हो गया है। बागवानी विभाग के विषय विशेषज्ञ रुपेश कुमार नेगी ने बताया कि जिन बगीचों में फल सेट हो चुका है वहां फफूंदनाशी दवाइयों का छिड़काव करना बेहद जरूरी है ताकि फसल को रोगों से बचाया जा सके।

विस्तृत ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददता से।

बागवानी विभाग के विषय विशेषज्ञ रुपेश कुमार नेगी ने बताया कि जिन बगीचों में फल सेट हो चुका है वहां फफूंदनाशी दवाइयों का छिड़काव करना बेहद जरूरी है ताकि फसल को रोगों से बचाया जा सके। इसके लिए कंटॉफ, बेवस्टीन, माइक्रोबुटानिल, निर्धारित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। वहीं, किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में अभी फूल आने (प्लावरिंग) का समय चल रहा है। इस दौरान बागवानों को कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मधुमक्खियों द्वारा परागण प्रक्रिया प्रभावित होती है और फल बनने में कमी आ सकती है। इसके अलावा, जिन बागवानों ने नए सेब के पौधे लगाए हैं, उन्हें बढ़ती गर्मी को देखते हुए मिट्टी में नमी बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास मल्टिचिंग करना फायदेमंद रहेगा। मल्टिचिंग के लिए प्लास्टिक शीट या सूखी घास का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होगी और वे सूखे के तनाव से बचे रहेंगे। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।

साच-पास

चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जोड़ने वाले प्रमुख साच पास मार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते ये मार्ग हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में बंद हो जाता है जो 6 से 7 माह तक बंद रहता है। इस मार्ग को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग तीसा और किलाड़ मण्डल की तरफ से मशीने लगाई गई हैं। उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल ने कहा कि चम्बा जिला मुख्यालय को वाया साच पास पांगी से जोड़ने का कार्य जारी है।

बाइट-उपायुक्त चंबा, मुकेश रेपसवाल

साच पास को खोलने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वह दोनों तरफ से किया जा रहे हैं तीसा की तरफ से भी बैरागढ़ के ऊपर और दूसरी तरफ है किलाड़ डिवीजन है उनकी तरफ से भी एसीपीडब्ल्यूडी श्री जीत सिंह ठाकुर जी और वैक्सीन के प्लस उनके जो बाकी चीज है जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है कंटीन्यूअस कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम उसको खोल दे सब्जेक्ट टू द कंडीशन के मौसम हमारा साथ में इलेक्शन मटेरियल वगैरह वहां पर सप्लाई होना है उसके लिए वाया उदयपुर जो है ऑलरेडी सेट अप किया गया है।

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर.....

आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है-हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकारी कर्मचारी भर्ती सेवा शर्तें अधिनियम, अनुबंध सेवा लाभ बहाल। पंजाब केसरी की सुर्खी है-अनुबंध कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर लाभ देने के आदेश, डेढ़ लाख कर्मचारी को होगा फायदा। जबकि दैनिक जागरण लिखता है-हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक हाईकोर्ट ने किया रद्द।

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है-सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30 फीसदी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश।

मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं-गर्मी ने दिखाए तेवर, 42 डिग्री पर तपा ऊना, 9 शहरों का तापमान 32 से 36 डिग्री के पास पहुंचा।

मनमानी रोकने के लिए नौ साल के बाद फिर लागू होगा अपार्टमेंट एक्ट-अमर उजाला की एक अन्य खबर है।

“अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर”

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के आधिकारिक दौरे पर। राजधानी शिमला में सुरक्षा के दृष्टिगत एक हजार से अधिक पुलिस जवान रहेंगे तैनात।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक करार दिया।

- जनजातीय जिला किन्नौर में सेब की फसल के रखरखाव व रोगों से बचाने के लिए बागवानी विभाग ने दी विशेष सलाह।

.....